संख्याः 3215 / 33–3–2015–10जी.आई. / 2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2015

विषय– ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु जनपद में की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्याः 2618 / 33–3–2015–10 जीआई / 2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा स्वयं की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त शासनादेश के अन्तर्गत यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतें स्वयं की आय बढाने एवं समग्र विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का निर्माण करेंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जनपद से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियॉ सम्पादित की जानी है। गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक है कि जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि समुदाय की समझ बढे तथा समुदाय के लोगों में अपने उत्तरदायित्व का बोध हो सके। इन गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति (कृपया शासनादेश 29.09.2015 का पृष्ठ सं0 6 देखें) की भूमिका महन्वपूर्ण है। जनपद में योजना निर्माण की प्रक्रिया में आरम्भ से लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा योजना का निर्माण पूर्ण होने तक जनपद से ग्राम पंचायत स्तर तक निम्नलिखित गतिविधियों का किया जाना आवश्यक हैः–

क्र. सं.	विषय	गतिविधि	विवरण
1.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति का निर्माण, समिति	जनपद स्तर से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा 3 माह में एक बार किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक

Jaigovind Pandey

		की बैठक का आयोजन एवं रणनीति का निर्धारण।	है कि जनपद द्वारा स्वयं की रणनीति तैयार की जाये। इस संबंध में जिला समिति द्वारा बैठक का आयोजन कर बैठक में चर्चा एवं रणनीति का निर्माण किया जाये। जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य संलग्नक–1 में वर्णित है।
2.	वातावरण निर्माण	10 ग्राम पंचायतों पर 1 क्लस्टर का निर्माण एवं योजना निर्माण के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन।	चूंकि ग्राम पंचायतों की संख्या के सापेक्ष ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या कम है इस कारण योजना निर्माण प्रक्रिया बाधित हो सकती है। अतः योजना निर्माण प्रक्रिया के बेहतर संचालन हेतु प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों पर 1 क्लस्टर के निर्माण का निर्णय लिया गया है। निर्मित क्लस्टर पर विभिन्न विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, पशुपालन विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना विभाग, साक्षरता एवं वैयक्तिक शिक्षा, पशु चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग) को पृथक–पृथक रूप से प्रभारी चार्ज ऑफिसर नियुक्त किया जाना अपेक्षित है जो योजना निर्माण की प्रक्रिया का बेहतर क्रियान्वयन व अनुश्रवण सुनिश्चित् करेंगें। योजना निर्माण करने हेतु दो रिसोर्स व्यक्तियों की सेवाओं को विषय विशेषज्ञ के रूप में लिया जा सकता है। जनपदों द्वारा निर्मित क्लस्टर एवं क्लस्टर में आने वाली ग्राम पंचायतों के नामों के साथ प्रत्येक क्लस्टर पर नियुक्त चार्ज ऑफिसर का विवरण निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	वातावरण निर्माण	क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का निर्माण। (कृपया मार्ग	क्लस्टर स्तर पर रिसोर्स ग्रुप का गठन चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायतों के सचिव, वार्ड के सदस्य, कार्यरत विभागों के खण्ड स्तरीय/ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दो रिसोर्स व्यक्ति को मिला कर किया जायेगा।

		निर्देशिका का पृष्ठ सं0 39 का संदर्भ ग्रहण करें)	ग्रुप का कार्य क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतो की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराना, पारिस्थितिक विश्लेषण करना, सहभागी नियोजन, योजना निर्माण, क्षमता संवर्धन के लिए रणनीति तैयार कराना इत्यादि सम्मिलित होगा।
4.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।	कार्यशाला के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को शासनादेश एवं मार्गनिर्देशिका से अवगत कराना तथा जनपद स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार कर जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
5.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन।	प्रत्येक जनपद से, चार व्यक्तियों का मास्टर ट्रेनर के रूप में चयन कर निदेशालय को उपलब्ध कराना जो राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योज़ना निर्माण की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित होंगे तथा संदर्भ व्यक्ति के रूप में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगें। जनपद स्तर पर चयनित मास्टर ट्रेनर का विवरण निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–3) पर जनपद द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
7.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का उन्मुखीकरण करना।	कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा अधिकृत ग्राम पंचायतों में बैठक कर ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना के विषय पर संवेदित करना।
वातावरण निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को निर्धारित समयावधि (20 दिसम्बर, 2015) तक पूर्ण कराया जायेगा।			
8.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का 6 दिवसीय एवं विभिन्न	• प्रत्येक जनपद से चयनित चार मास्टर ट्रेनर (कुल 300) राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के

		विभागों के अभियन्ताओं का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सम्बन्ध में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जायेंगे। कुल 300 प्रतिभागियों को 6 बैचों में बांटकर तथा एक ही समय में तीन बैचों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार 12 दिनो में 6 बैच के प्रतिभागी प्रशिक्षित होगें। प्रशिक्षण के दौरान ही प्रत्येक जनपद में जिला एवं खण्ड स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों हेतु रणनीति तथा समय–सारिणी भी तैयार की जायेगी। तैयार समय–सारिणी के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी से चर्चा कर मास्टर ट्रेनर अपने जनपद में जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगें। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि–11 से 23 जनवरी 2016) • विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि–26 से 29 जनवरी 2016)
9.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	खण्ड स्तरीय अधिकारियों का जिला स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	खण्ड स्तरीय ए0डी0ओ0 पं0/बी0डी0ओ0 को मास्टर ट्रेनर जिला स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित करेंगें। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित होंगें जो खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगें तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्ति के रूप में खण्ड स्तर के प्रशिक्षण का हिस्सा रहेंगें। उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों में एकसाथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि–01 से 05 फरवरी 2016)

Jaigovind Pandey

10.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	चार्ज ऑफिसर का खण्ड स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	क्लस्टर स्तर पर नियुक्त चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों और जे0ई0 की संख्या को देखते हुए सभी प्रतिभागियों को एक बैच में सम्मिलित करते हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन खण्ड स्तर पर किया जायेगा। जिसमें द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर मुख्य प्रशिक्षक तथा जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं अन्य विभाग के प्रतिनिधि संदर्भ व्यक्ति के रूप में होंगें। उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में एकसाथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि–15 से 19 फरवरी 2016)
11.		ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
12.		खण्ड स्तरीय जे0ई0 का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
13.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम।	खण्ड स्तर पर आयोजित दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि प्रति ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य) प्रतिभागी होंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड से दो क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर एक बैच का निर्माण होगा। इस प्रकार अनुमानतः 4–5 बैच में ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगें। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि– 01 से 18 मार्च 2016)
14.	ग्राम सभा बैठक	प्रारम्भिक बैठक का आयोजन	प्रशिक्षण के पश्चात् ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन कर समुदाय को ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के विषय पर संवेदित कर योजना निर्माण हेतु तिथि का निर्धारण किया जायेगा।
15.	पारिस्थितिक विशलेषण	प्रारम्भिक (Primary) एवं सहयोगी (Secondary)	ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद समस्याओं एवं उनके निवारण विषयक प्रारम्भिक एवं सहयोगी आंकड़ों का संकलन किया जायेगा जिसकी मदद से कार्यों का

		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	प्रगति एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जायेगी।

अतः दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपर्युक्त गतिविधियों को चरणबद्ध रूप में कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः
1. जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य।
2. क्लस्टर व चार्ज ऑफिसर विवरण हेतु प्रारूप।
3. मास्टर ट्रेनर विवरण हेतु प्रारूप।
4. ग्राम पंचायत विकास योजना का शासनादेश।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।
6. प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज।
7. क्षमता सवर्धन समय–सारिणी।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /33–3/2015 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु
1.श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2.कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3.प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5.प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6.प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7.प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8.प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11.प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13.समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16.समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।

Jaigovind Pandey

18.प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19.प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20.प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

Jaigovind Pandey